(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

रादरय

निगरानी प्रकरण कमांक--4405--एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15--12--2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा, जिला--मुरैना प्रकरण क्रमांक--42/2015--16/अपील

.....

1-- राजेश

2-- गिरीश, पुत्रगण रामजीलाल पाठक,
निवासीगण--व्यासगली, बस स्टेण्ड के पास जौरा
तहसील जौरा, जिला--मुरैना, म0प्र0

------आवेदकगण

विरूद्ध

1-- कमलकान्त पाठक पुत्र कमलेश पाठक
निवासी--जौरा तहसील जौरा, जिला--मुरैना
हाल निवासी--सांई नगर, हरीशंकर पुरम लश्कर,
ग्वालियर (म0प्र0)

2-- दिनेश कुमार

3-- कमलेश कुमार, पुत्रगण रामलीलाल पाठक
निवासीगण--व्यास गली बस स्टैण्ड के पास,
जौरा, तहसील जौरा, जिला--मुरैना, म0प्र0

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/06/2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जौरा, जिला--मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15--12--2016 के विरूद्ध म.प्र. भू--राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अलापुर स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 67 रकबा 0.199 सर्वे क्रमांक 68 रकबा 0.199 एवं सर्वे क्र0 83 रकबा 0.564 कुल किता 3 कुल रकबा 0.962 हैक्टेयर का नामांतरण किये जाने बावत आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार परगना के समक्ष पेश किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी क्र0 263 में दिनांक 30.09.1995 से आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के न्यायालय में संहिता की धारा 44(1) के तहत अपील पेश की तथा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया, जहां प्रकरण क्रमांक 42/2015--16/अपील पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 से अवधि विधान धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकरण में विलम्ब क्षमा किये का कोई आधार नहीं है । प्रत्येक दिवस के विलम्ब का स्पष्टीकरण न होने से पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में यह आधार लिया कि स्व0 रामदयाल की कोई सन्तान नहीं थी। स्व0 रामदयाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.05.1978 को अनावेदक को गोद लिया था। गोद कार्यक्रम हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था तथा गोदनामा दस्तावेज लिखा जाकर उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 08.05.1978 को सम्पादित हुआ था। अनावेदक स्व0 रामदयाल का दत्तक पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी हो गया तथा अनावेदक स्व0 रामदयाल की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का भी उत्तराधिकारी हो गया । अनावेदकगण द्वारा कथित वसियतनामे के आधार पर नामांतरण चाहा गया था । उन्होंने लिखित तर्क में यह भी आधार लिया कि वसियतनामे के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत अलापुर को नहीं थी।

ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश शून्य आदेश है। अपीलीय न्यायालय में अनावेदक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अनावेदक स्व0 रामदयाल का दत्तक पुत्र होने से एक मात्र वारिस होकर हितबद्ध पक्षकार है, इसलिये उसे व्यक्तिगत सूचना देना आवश्यक था। प्रकरण में न तो विधिवत इश्तहार जारी किया गया और न ही विधिवत नामांतरण नियमों का पालन किया । अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार कर ही विलम्ब क्षमा किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। इस संबंध में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा – 2015 रा0नि0 509 उच्च न्यायालय (9 वर्ष का विलम्ब माफ किया), 2014 रा0नि0 291(38 वर्ष का विलम्ब माफ किया), 2004 रा0नि0 289 (11 वर्ष का विलम्ब माफ किया), 2006 रा0नि0 351, 1987 रा0नि0 125 व 349 अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5/　　उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को दायर सीमा में मानने में त्रुटि की है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जानकारी होने पर ही अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र पेश किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक क्रमांक–42/2015–16/अपील में अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर पूर्ण विचार कर तथा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन कर अनावेदक को विलम्ब क्षमा पात्र माना है और अपने आदेश दिनांक 15.12.2016 से अनावेदक के द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है। चूँकि अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में दर्शाये कारक को समाधानकारक मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय सीमा में मान्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी जो आदेश पारित किया है, उसमें अनियमितता व अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। अतः अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 15.12.16 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उभय पक्ष द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये है वे गुण–दोषों के बिन्दु पर है, जिन पर इस

न्यायालय में विचार नहीं किया जा रहा क्योंकि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के यहां लंबित है, जहां उभय पक्षों को सुनकर गुण--दोषों का निराकरण होना शेष है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,